राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प 13(1)साप्र/2/15 **जयपुर, दिनांक : 10-06-2022**

परिपत्र

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
समस्त विभागाध्यक्ष, जयपुर

विषयः– राजकीय आवास हेतु आवेदन एवं आवंटन की प्रकिया को ऑनलाइन करने बाबत्।

सदर्भः– इस विभाग के परिपत्र दिनांक 18.02.2021, दिनांक 25.06.2021 व दिनांक 18.02.2022 के क्रम में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त संदर्भित परिपत्रों के क्रम में निवेदन है कि कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय आवास आवंटन हेतु आवेदन एवं राजकीय आवास आवंटन में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से ऑनलाइन आवेदन प्रकिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस सबंध में राजकीय आवास आवंटन हेतु जिन अधिकारियो/कर्मचारियों ने सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग में आवेदन किया हुआ हैं, उन्हे पुन ऑनलाइन आवेदन करने हेतु दिनांक 18.02.2021 से 1 माह, दिनांक 01.07.2021 सें 1 माह व दिनांक 20.02.2022 से दिनांक 31.03.2022 तक का समय दिया गया था।

इसी क्रम में राजकीय आवास के इच्छुक पूर्व आवेदकों जिन्होने 30.06.2021 तक ऑफलाईन आवेदन किया हुआ है, को पुन ऑनलाईन आवेदन करने हेतु उक्त परिपत्र जारी होने की तिथि से तीन माह का समय ओर प्रदान किया जाता है। इच्छुक अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा स्वयं की SSO ID के माध्यम से पूर्व वरीयता दर्ज करते हुए निम्नाकिंत प्रक्रिया द्वारा पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैः–

sso id → RajKaj → Employee corner → Accommodation → Reapply for accommodation → Form Filling → Submit

पूर्व आवेदकों द्वारा पुनः ऑनलाईन आवेदन नही करनें की स्थिति में आवेदक को आवास आवंटन का इच्छुक न मानते हुए उसकी वरीयता को समाप्त करने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

कृपया सभी अधिकारियो व कर्मचारी को तदनुसार सूचित करने का कष्ट करे।

(शैली किशनानी)
विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को उक्त परिपत्र के प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित है।
6. संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।

विशिष्ठ शासन सचिव